परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

संख्या–93(जी)एलएएस/2013–451मिस/एलएएस/90 दिनांकः 06 मईः 2013

1–समस्त प्रधान प्रबन्धक,
परिवहन निगम मुख्यालय,
लखनऊ।
2–प्रधान प्रबन्धक(के0का0/डा0रा0म0लो0कार्य0),
उ0प्र0 परिवहन निगम,
कानपुर।
3–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक
उ0प्र0 परिवहन निगम।
4–समस्त स0वि0अधि0/स0क्षे0प्र0(का0),
उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषयः–मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों में प्रतिशपथपत्र दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में न्याय विभाग के निर्देशों का पालन किया जाना।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासन द्वारा अपेक्षा की गयी है कि जिन वादों में मा0 न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जाना हो अथवा व्यक्तिगत सुनवाई/उपस्थित अनिवार्य हो ऐसे मामलों में समयान्तर्गत प्रतिशपथपत्र तैयार करा लिये जाय। इसके अतिरिक्त याचिका सं0–7162(एस/एस)/08 नीलम सक्सेना बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में पारित निर्णय दिनांक–05–03–2013 के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल होने वाले शपथपत्र, प्रतिशपथपत्र अथवा मा0 न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर दस्तावेजों की पूर्णतया पठनीय प्रतियां ही संलग्न की जांय।

इसके अतिरिक्त मा0 न्यायालयों में प्रतिशपथपत्र दाखिल किये जाने तथा मा0 न्यायालयों के निर्णयों के सम्बन्ध में निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित की जायः–

1–समस्त वादों, याचिकाओं में समय से प्रतिशपथपत्र दाखिल कराया जाय, यदि किसी बिन्दु पर मुख्यालय से निर्देश प्राप्त किया जाना समीचीन हो तो तत्काल ही निर्देश प्राप्त कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

2–मा0 न्यायालयों द्वारा प्राप्त होने वाले निर्णयों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा यदि अपील योजित किये जाने का अभिमत दिया जाता है, तो बिना विलम्ब कारित हुए समय से अपील योजित करायी जाय।

3–मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल होने वाले शपथपत्र, प्रतिशपथपत्र तथा दस्तावेजों की पूर्णतया पठनीय प्रतियां ही दाखिल की जांय।

4–जिन वादों में सम्बन्धित प्रशासनिक अनुभाग द्वारा प्रस्तरवार आख्या दिये जाने में विलम्ब कारित किया जाता है, फलस्वरूप वाद में समय से प्रतिवाद नहीं हो पाता, ऐसे मामलों में सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग उत्तरदायी होगें एवं उनके विरूद्व कार्यवाही की जायेगी।

5–मा0 उच्च न्यायालय एंव मा0 उच्चतम् न्यायालय के निर्णयों का समयान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं यदि किसी प्रकरण में निर्णय के अनुपालन में मुख्यालय स्तर से किसी कार्यवाही की अपेक्षा हो तो तत्काल मुख्यालय के सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जाय।

6–यदि न्यायालय के आदेशों के समयान्तर्गत अनुपालन न होने की दशा में किसी अवमानना की स्थिति बनती है तो उसको अत्यन्त गम्भीरता से लिया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जांय।

6/5/13

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

Downloaded from www.upsrtc.com